बीस रुपये TWENTY RUPEES बीस रुपये TWENTY RUPEES

169

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. /2016 निगरानी निग -1451- II-16

मेसर्स लोटस इन्फ्रारियलटी लि. कम्पनी इंदौर द्वारा डायरेक्टर विनय चौरसिया पुत्र स्व. श्री जगदीश प्रसाद चौरसिया सुदामा नगर इंदौर रजिस्टर्ड कार्यालय इंदौर

श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभि० द्वारा आज दि. 10-5-16 को प्रस्तुत
10-5-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

.... आवेदक

विरुद्ध

म.प्र. शासन द्वारा नायब तहसीलदार रघुराजनगर जिला सतना म.प्र.

.... अनावेदक

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व विरुद्ध आदेश माननीय तहसीलदार रघुराज नगर वृत रैगांव जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 29–ए 68/12–13 में पारित आदेश दिनांक 20.11.2012 एवं आदेशों के।</u>

माननीय,

आवेदक निम्न प्रकार से विनम्र निवेदन करता है :–

1. यहकि, अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 3.11.2012 को ग्राम इटौरा हल्का पटवारी तहसील रघुराज नगर द्वारा खसरा नं. 61, 59 रकबा 0.234 नोयत नाला की शासकीय भूमि पर आवेदक द्वारा अवैध निर्माण किये जाने धारा अंतर्गत 248(1) म.प्र.भू.रा.सं. के तहत् पटवारी द्वारा प्रतिवेदन अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। आवेदक को नोटिस निम्न प्रकार से जारी किया गया कि आप स्वतः कब्जा हटाकर इस न्यायालय को अवगत करायें या दिनांक 12.11.2012 को अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर होकर जबाव प्रस्तुत करें। नोटिस इस प्रकार है :–

10/3/ Bhaiwarta प्रदीप श्रीवास्तव

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1451–दो/2016 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२१–9–2016	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार रघुराजनगर के प्रकरण क्रमांक 29/अ–68/12–19 में पारित आदेश दिनांक 20–11–12 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तगर्त प्रस्तुत की गई है। 3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे प्रकट होता है कि दिनांक 03–11–12 को ग्राम इरौरा हल्का पटवारी बाबूपुर तहसील रघुराजनगर द्वारा खसरा न्र0 61, 59 रकवा 0.234 की शासकीय भूमि रकबे पर लोटस इन्फारियलटी लि.कम्पनी द्वारा विनय चौरसिया के द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के कारण म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 248(1) के तहत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार ने आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। आवेदक अभिभाषक प्रस्तुत तर्क उचित प्रतीत होता है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक के विरूद्ध तीव्र गति से एकपक्षीय कार्यवाही कर बेदखली का आदेश पारित किया है। तहसीलदार की आदेश पत्रिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर, जबाव हेतु प्रकरण में पेशी दिनांक 12–11–12 नियत	

की, जिस पर आवेदक की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित हुये। तत्पश्चात पेशी दिनांक 15–11–12 नियत की गई। आदेश पत्रिका दिनांक 15–11–12 में यह लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा जबाव हेतु समय की मांग की जबकि उक्त पेशी पर आवेदक अथवा उनके अभिभाषक के हस्ताक्षर अंकित नहीं है तत्पश्चात पेशी 16–11–12 नियत की गई। पेशी दिनांक 16–11–12 में आवेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कार्यवाही करते हुये पेशी दिनांक 19–11–12 नियत की गई तत्पश्चत पेशी दिनांक 20–11–12 को आवेदक के विरूद्ध एकपक्षीय बेदखली का आदेश पारित किया गया है। आदेश पत्रिका पर आवेदक अभिभाषक की उपस्थित लेख होना तथा उसके हस्ताक्षर अंकित न होना शंकास्पद प्रतीत होता है जो स्वच्छ न्यायिक प्रकिया को नहीं दर्शाता है। इसके अतिरिक्त हितबद्ध पक्षकार को बिना सुनवाई का अवसर दिये आवेदक के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया गया है जिससे आवेदक हितबद्ध हुआ है। बिना सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर दिये एकपक्षीय आदेश को नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। तहसीलदार के प्रश्नाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने आदेश दिनांक 20–11–12 को आवेदक के विरूद्ध आदेश पारित करते हुये 07 दिवस में स्वतः अतिकमण हटाकर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने एवं पालन प्रतिवेदन प्राप्त न होने पर संहिता की धारा 248(2) के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी के प्रस्तुत करने के आदेश दिये। आवेदक का मुख्य रूप

से तर्क है कि तहसीलदार ने मात्र हल्का पटवारी के प्रतिवेदन पर आवेदक के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही की गई है, जबकि आवेदक द्वारा स्वयं की भूमि का विधिवत डायवर्सन एवं सीमांकन कराने के उपरांत निर्माण कार्य किया था। अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख में संलग्न 107 / अ–12 / 11–12 में पारित आदेश दिनांक 22–8–12 तथा सीमांकन पंचनामा, प्रतिवेदन, फील्डबुक एवं नक्शा का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि आवेदक स्वयं की भूमि का सीमांकन कराया है। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय इस बावत आपत्ति प्रस्तुत की गई कि उनके द्वारा स्वयं की भूमि का सीमांकन कराने के उपरांत निर्माण कार्य किया है तथा पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर बेदखली की कार्यवाही विधि विपरीत है। तहसीलदार द्वारा बेदखली आदेश पारित करने के पूर्व किसी प्रकार के स्थल पंचनामा अथवा साक्ष्य प्राप्त नहीं किया है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 औ. के अनुसार– ''पटवरी का यह दायित्व रहता है कि वह सरकारी भूमि पर किए गए अधिकमणों की पंजी रखे। इस प्रकार पटवरी के प्रतिवेदन पर भी धारा 248 के अधीन कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है परंतु पटवारी का प्रतिवदेन साक्ष्य नहीं है केवल उसके आधार पर बेदखल का आदेश पारित नहीं किया जा सकता।'' इस संबंध में 1990 रा0नि0 148 हरनारायण विरूद्ध म0प्र0 राज्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है– '' भू–राजस्व संहित, 1959 (म0प्र0) – धारा 248– सबूत का भार – राज्य पर है– पटवारी का

प्रतिवेदन एवं कथन—अन्य साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं—अधिकमण साबित होना नहीं माना जा सकता।''

संहिता में निहित प्रावधान एवं न्यायिक दृष्टात के अवलोकन से स्पष्ट है कि मात्र पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर बेदखली की कार्यवाही नहीं की जा सकती। स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधि की मंशा के विपरीत आवेदक के विरूद्ध बेदखली के आदेश पारित करने में त्रुटि की है।

4/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में निगरानी स्वीकार की जाती है। तहसीलदार सतना का आदेश दिनांक 20—11—12 निरस्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य